

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मई, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1994 (वैशाख 5, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

॥1॥ डॉ. विजय लक्ष्मी साधो, संस्कृति मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा ॥3॥ ॥ख॥ की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित भोपाल का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगी.

॥2॥ श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33 की उपधारा ॥4॥ की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1991-92 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 ॥1॥ के अधीन ध्यानाकर्षण

॥1॥ श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, महानदी परियोजना में पदस्थ मुख्य अभियंता द्वारा अनियमितताएं किए जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

॥2॥ सर्वश्री रमेश शर्मा "गुट्टू भैया", ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, भोपाल के शाहजहाँनाबाद क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किये जाने और मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- ॥1॥ श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम बिलहारी में पर्यटन केन्द्र की स्थापना,
॥2॥ श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल हर्षवर्धन नगर के शापिंग काम्पलेक्स का विकास एवं अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किये जाने,
॥3॥ श्री प्यारेलाल बेलचन्दन, सदस्य, दुर्ग जिले के ग्राम-खेरथा में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय महाविद्यालय खोले जाने,
॥4॥ श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम-पोड़ी दलहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
॥5॥ डॉ. रमन सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के कवर्धा नगर के कैलाश नगर में प्राथमिक शाला खोले जाने,
॥6॥ डॉ. कन्हैया लाल शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले में बलार जलाशय की मुख्य नहर पर पुलिया बनाने,
॥7॥ श्री ओम प्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के बदरवास नगर में कन्या हाईस्कूल खोलने,
॥8॥ डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य -

- ॥क॥ भिण्ड जिले ग्राम-गुरीरा में स्कूल भवन का निर्माण,
॥ख॥ भिण्ड जिले के ग्राम-रुरई से महेवा की पुलिया तक सड़क का निर्माण,
॥ग॥ भिण्ड जिले के ग्राम-मेहरी में हैण्डपंप खनन करने,
॥घ॥ भिण्ड जिले के ग्राम-मेहरी में लहार माइनर पर पुलिया का निर्माण,
॥ड॥ भिण्ड जिले के ग्राम-पर्यामच के पहुँच मार्ग का डामरीकरण, तथा
॥च॥ भिण्ड जिले के ग्राम-गांगेपुरा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्य मंत्री (सहकारिता) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 12 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 13 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

1 घंटा 30 मिनट	(1)	मांग संख्या 8 मांग संख्या 9 मांग संख्या 51 मांग संख्या 58	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व विभाग से संबंधित व्यय धार्मिक न्यास और धर्मस्व प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जल संसाधन विभाग राज्य विधान मंडल न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन लघु सिंचाई निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
2 घंटे	(2)	मांग संख्या 23 मांग संख्या 28 मांग संख्या 29 मांग संख्या 45 मांग संख्या 57	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल लोक निर्माण कार्य-भवन आदिवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
1 घंटा 30 मिनट	(3)	मांग संख्या 24 मांग संख्या 67 मांग संख्या 42 मांग संख्या 68	

भोपाल :
दिनांक 24 अप्रैल, 1994

शीला खन्ना
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा